प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक, निदेशक, आई0जी0आई0एम0एस0/ आई0जी0आई0सी0 एवं प्राचार्य, पटना दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के साथ दिनांक–06.08.2018 को 10:00 बजे (पूर्वाह्न) सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक की उपस्थिति :– सूची संलग्न।

बैठक में सर्वप्रथम प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा उन मशीन उपकरणों के संबंध में जानकारी दी गई जिनके लिए निगम द्वारा rate contract कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उन मशीन उपकरणों की विवरणी से भी अवगत कराया गया जो demonstration stage में हैं।

2– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि मशीन उपकरणों के निविदा के तकनीकी मुल्यांकन के समय–समय पर अलग–अलग तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं जिससे निर्णय में एकरूपता नहीं रहती। फलतः निविदा निष्पादन में विलम्ब होता है। इसके निराकरण हेतु पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना/इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना/एम्स, पटना/इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के विशेषज्ञ चिकित्सकों का विभागवार पैनल बनाने का निर्णय लिया गया। निगम से अनुरोध प्राप्त होने पर संबंधित संस्थान, विभागवार, विशेषज्ञों का पैनल तैयार कर निगम को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना एवं संबंधित संस्थान)

3– इसके उपरान्त दिनांक–27.06.2018 एवं 11.07.2018 को सम्पन्न पिछली बैठकों में दिये गये निदेशों की बिन्दुवार समीक्षा की गयी एवं निम्नांकित निर्णय/निदेश दिये गये–

(i) **केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री एवं केन्द्रीयकृत sterlization की स्थापना :–**

पूर्व में लिए गए निदेश के आलोक में केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री की व्यवस्था नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना से प्रारम्भ की जानी है जहाँ से पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना टैग रहेगा। बैठक में निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना के अनुरोध के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि आई0जी0आई0सी0, पटना, गार्डेनर रोड हॉस्पीटल, पटना, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना एवं राजेन्द्र नगर राजकीय अस्पताल, राजेन्द्र नगर, पटना सभी पी0एम0सी0एच0, पटना के साथ एन0एम0सी0एच0, पटना से टैग रहेंगे।

गत् बैठक में दिए गए निदेश के बावजूद राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में sterilization के उपकरणों की कार्य क्षमता का audit अभी तक नहीं हो पाया है।

प्रधान सचिव द्वारा एन0एम0सी0एच0, पटना में केन्द्रीयकृत लॉन्ड्री के लिए प्रस्ताव एवं sterilization के उपकरणों की कार्य क्षमता का audit report दिनांक–10.09.2018 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना)

(ii) **RADIATION SAFETY AUDIT:–**

Radiation Safety के लिए राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में व्याप्त कमियों के निवारण हेतु दिनांक–25.09.2018 को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यह कार्यशाला CARE के Consultant Mr. Joseph के देखरेख में आयोजित होगा। इसमें राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के रेडियोथेरापी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, अर्थोपेडिक विभागों के विभागाध्यक्ष भाग लेंगे। इस हेतु पत्र प्रशाखा–1 द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(अनुपालनः–संयुक्त सचिव–I एवं श्री जोसफ)

(iii) **PMSSY फेज–IV– पी0एम0सी0एच0 एवं पटना विश्वविद्यालय के मध्य भूमि हस्तांतरण का मामला :–**

प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा कुलपति, पटना विश्वविद्यालय, पटना मिलकर भूमि हस्तान्तरण के मामले पर त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।

प्रधान सचिव द्वारा चिह्नित स्थल पर अवस्थित आवासीय भवनों को खाली कराते हुए उसे शीघ्र clear कराने का निदेश दिया गया। अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना द्वारा उन आवासीय भवनों में रह रहे लोगों से तीन–चार दिनों के अन्दर भवन खाली करा लेने का आश्वासन दिया गया है।

(अनुपालनः–प्राचार्य/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना)

(iv) **आई0जी0आई0सी0 को स्वायत्तता :–**

निदेशक, आई0जी0आई0सी0, पटना द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर दिये जाने की सूचना दी गयी। प्रधान सचिव द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए संचिका उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–संयुक्त सचिव–I)

(v) **"अमृत योजना" का क्रियान्वयन :–**

राज्य औषधि नियंत्रक द्वारा प्रधान सचिव के स्तर से CMD, HLL को पत्र भेजे जाने की सूचना दी गयी। प्रधान सचिव द्वारा "अमृत योजना" के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–राज्य औषधि नियंत्रक)

(vi) **आई बैंक की स्थापना :–**

आई बैंक की स्थापना की दिशा में विभिन्न संस्थानों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त संस्थानवार आई बैंक के उद्घाटन की तिथि निम्नरूपेण निर्धारित की गई–

क्रमांक	संस्थान का नाम	प्रारम्भ करने की निर्धारित तिथि
1	पी0एम0सी0एच0, पटना	13.08.2018
2	ए0एन0एम0सी0एच0, गया	15.09.2018
3	डी0एम0सी0एच0, दरभंगा	02.10.2018
4	एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर	02.10.2018
5	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	02.10.2018
6	जे0एल0एन0एम0सी0एच0, भागलपुर	13.08.2018
7	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी	02.10.2018
8	एन0एम0सी0एच0, पटना	यहाँ विशिष्ट कोटि के आई बैंक की स्थापना की जानी है इसके लिए निगम को अविलम्ब प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
9	राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	15.09.2018

BMSICL, पटना द्वारा आश्वस्त किया गया कि आई बैंक की स्थापना हेतु उनके स्तर से क्रय किये जा रहे सभी मशीन उपकरण समय पर मिल जायेंगे।

(अनुपालनः—संयुक्त सचिव—I, डॉ0 आजाद हिन्द प्रसाद, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना एवं प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, निदेशक, राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना)

(vii) **सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की स्थापना :—**

राज्य के विभिन्न चिकित्सा एवं अस्पतालों में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधान सचिव द्वारा पूर्व निर्धारित timeline का अनुपालन नहीं हो पाने पर अप्रसन्ता व्यक्त की गई। एन0एम0सी0एच0, पटना एवं डी0एम0सी0एच0, दरभंगा में इन मशीनों के अधिष्ठापित होने एवं कार्यरत होने की सूचना दी गई।

ए0एन0एम0सी0एच0, गया में सी0टी0 स्कैन 18 सितम्बर, 2018 तक एवं एम0आर0आई0 30 अक्टूबर, 2018 तक अधिष्ठापित हो जाने को निगम द्वारा आश्वस्त किया गया।

एस0के0एम0सी0एच0, मुजफ्फरपुर में सी0टी0 स्कैन कार्यरत होने की सूचना दी गई। एम0आर0आई0 के लिए प्राप्त एकल निविदा पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई करने की सूचना दी गई। प्रधान सचिव द्वारा शीघ्र कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में सी0टी0 स्कैन की स्थापना अगस्त माह में कर लिए जाने को निगम द्वारा आश्वस्त किया गया। एम0आर0आई0 की स्थापना हेतु संस्थान में जगह उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी गई एवं यह भी बतलाया गया कि एम0सी0आई0 मानक के अन्तर्गत यह अपरिहार्य नहीं है।

वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी के संदर्भ में निगम द्वारा बतलाया गया कि यहाँ सी0टी0 स्कैन 25 अगस्त, 2018 तक अधिष्ठापित हो जायेगा। एम0आर0आई0 के लिए निविदा निष्पादन प्रक्रियाधीन है।

गया एवं बेतिया में इन मशीनों को क्रियाशील करने हेतु अलग से dedicated ट्रॉंस्फार्मर की आवश्यकता है। इस हेतु प्रधान सचिव द्वारा उनके स्तर से MD, SBPDCL/NBPDCL को पत्र देने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना, प्रशाखा–1)

(viii) **VC facility between medical colleges and live telecast of OT in LT :–**

इस बिन्दु पर समीक्षा के क्रम में बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना द्वारा अपेक्षा की गई की चिकित्सा महाविद्यालयवार सर्वप्रथम नोड की संख्या निर्धारित कर लिया जाना आवश्यक है ताकि उसके आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जा सके।

प्रधान सचिव द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों, आई0जी0आई0एम0एस0, पटना एवं आई0जी0आई0सी0, पटना के लिए, प्रति संस्थान एक मुख्य लेक्चर थियेटर एवं एक मुख्य ऑपरेशन थियेटर को VC द्वारा जोड़ने का निदेश दिया गया ताकि विशिष्ट प्रकृति के शैक्षणिक क्रियाओं से छात्र–छात्रों को अवगत कराया जा सके। इसके आधार पर निगम को एक सप्ताह में प्राक्कलन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना)

(ix) **PMSSY फेज–IV – आवश्यक पदों का सृजन :–**

PMSSY फेज–III एवं फेज–IV से संबंधित सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आवश्यकतानुसार शीघ्र पद सृजित किया जाना आवश्यक है। प्रधान सचिव को अवगत कराया गया कि पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है एवं संचिका शीघ्र उपस्थापित कर दी जायेगी। प्रधान सचिव द्वारा प्रस्ताव 10 दिनों में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–संयुक्त सचिव–I)

(x) **चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 सीटों की अभिवृद्धि :–**

राज्य के छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों में पी0जी0 सीटों की अभिवृद्धि हेतु भारत सरकार से राशि प्राप्त है एवं निर्धारित अनुपात में इसके परिप्रेक्ष्य में राज्यांश भी चिकित्सा महाविद्यालयों को उपलब्ध कराया है परन्तु चिकित्सा संस्थानों द्वारा पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। फलतः राशि का सामंजन अभी तक नहीं हो पाया है। प्रधान सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये 100 प्रतिशत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 30 अक्टुबर, 2018 निर्धारित की गई। सभी चिकित्सा महाविद्यालय इस अंतिम तिथि से पूर्व प्राप्त पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रधान सचिव द्वारा उपस्थित प्राचार्यों को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा एम0बी0बी0एस0 सीटों में अभिवृद्धि हेतु प्रति सीट रु0 1.20 करोड़ उपलब्ध कराती है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों को इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। तदनुसार वे इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–प्राचार्य, सभी चिकित्सा महाविद्यालय, बिहार)

(xi) **विभागाध्यक्षों द्वारा क्रय समिति में भाग नहीं लेना एवं चक्रानुक्रम में (By Rotation) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति :–**

चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया कि संस्थान के क्रय समिति में बहुधा विभागाध्यक्ष स्वयं भाग नहीं लेते एवं उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि को बैठक में भेज दिया जाता है। प्रधान सचिव द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया एवं निदेश दिया गया कि संस्थान के क्रय समिति में संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष का स्वयं भाग लेना mandatory होगा। ये इसे प्रत्यायोजित नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त प्रधान सचिव द्वारा चक्रानुक्रम में (By Rotation) चिकित्सा महाविद्यालयों में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–सभी प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम में सभी संबंधित विभागाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव–I)

(xii) समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव द्वारा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में Grievance Redressal Cell, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्प्रीड़न के रोकथाम हेतु समिति, एन्टी रैगिंग समिति, अनुशासनिक समिति, एवं अन्य समितियों के गठन एवं नियमित बैठकें करने, चिकित्सक शिक्षकों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर देने, Academic Calender बनाने एवं e-library विकसित करने की दिशा में हुई अद्यतन प्रगति पर 15 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(xiii) **संस्थानों के वेबसाइट को अपग्रेड एवं अपडेट करना :–**

प्रधान सचिव द्वारा समीक्षा के दौरान ही कतिपय संस्थानों के वेबसाइट का अवलोकन किया गया एवं इसे proper नहीं पाया गया। प्रधान सचिव द्वारा इसे अपग्रेड एवं अपडेट करने की आवश्यकता रेखांकित की गई एवं इसे संस्थान के gateway के रूप में विकसित करने का निदेश दिया गया ताकि इसमें प्रवेश करते ही click-by-click संस्थान, इनके फैकल्टी, उपलब्ध सुविधाओं, संस्थान की उपलब्धियों आदि से संबंधित जिज्ञासाओं का शमन हो सके। प्रधान सचिव द्वारा अगली बैठक से पूर्व इस कार्य को कर लिए जाने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालनः–प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(xiv) **नालंदा मेडिकल कॉलेज में कोकलियर इम्पलाण्ट हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना :–**

प्रधान सचिव द्वारा नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना में कोकलियर इम्पलाण्ट हेतु आवश्यक पदों के सृजन के साथ–साथ एम0सी0आई0 मानक के अनुरूप अन्य चिकित्सा महाविद्यालयों में ENT विभाग में Speech Phathologist-cum-Audiologist एवं Audiographer के पद सृजन हेतु आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– संयुक्त सचिव–I)

(xv) **चिकित्सा महाविद्यालयों में रेडियेशन फिजिसिस्ट के पदों की स्वीकृति :–**

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी कि राज्य के छः पुराने चिकित्सा महाविद्यालयों में मेडिकल फिजिसिस्ट–सह–रेडियेशन सेफ्टी ऑफिसर के चार–चार पद सृजित हैं। प्रधान सचिव द्वारा इसी तर्ज पर नवस्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आई0जी0आई0सी0 में, आवश्यक होने पर, पद सृजन की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–संयुक्त सचिव–1)

(xvi) **पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय में उपकरणों की आवश्यकता :–**

पटना दंत चिकित्सा महाविद्यालय में उपकरणों की आवश्यकता के क्रम में BMSICL, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि इस हेतु निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। डेन्टल वैन हेतु प्राप्त निविदा के संदर्भ कतिपय स्पष्टीकरण की माँग की गई है। शीघ्र ही निविदा का निष्पादन कर दिया जायेगा।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना)

(xvii) **चिकित्सा महाविद्यालयों में ग्रुप–3 एवं 4 के रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति :–**

चिकित्सा महाविद्यालयों में ग्रुप–3 एवं 4 के रिक्त पदों को भरने के बिन्दु पर BMSICL, पटना द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ग–4 के रिक्त पदों पर वाह्य स्त्रोत से कर्मियों को उपलब्ध कराये जाने पर संबंधित एजेंसी द्वारा अग्रिम भुगतान की माँग की जा रही है जो निगम द्वारा नहीं किया जा सकता। तदनुसार बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल प्रबंधन से वर्ग–4 के सृजित पद के विरूद्ध, वाह्य स्त्रोत से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने वाले एजेंसी से ही अन्य unskilled persons को लेने का निदेश दिया गया।

वर्ग–3 के सृजित पद के विरूद्ध आवश्यक कर्मियों की आवश्यकता उपलब्ध कराने का निदेश सभी प्राचार्य/अधीक्षकों को दिया गया।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)

(xviii) **चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के रोगी कल्याण समिति हेतु वार्षिक अनुदानः–**

राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के रोगी कल्याण समिति की आमदनी सीमित है और इसके माध्यम से रोगी कल्याण हेतु कई तात्कालिक कार्य किया जाता है। तदनुसार बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के रोगी कल्याण समिति को विभाग की ओर से वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाय। यह अनुदान आई0जी0आई0सी0 को भी प्रदान किया जायेगा। अनुदान की राशि इन संस्थानों के ओ0पी0डी0 में मरीजों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(अनुपालनः– संयुक्त सचिव–I)

(xix) **चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जगह की अनुपलब्धता :–**

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में जगह की अनुपलब्धता दूर करने हेतु बिहार वित्तीय नियमावली–2005 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए तथा इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक–379 दिनांक 30.10.2008 तथा पत्रांक 23341 दिनांक 01.02.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया एवं यह कार्य अक्टूबर, 2018 तक सम्पन्न करने का timeline निर्धारित किया गया। अगली मासिक बैठक में इस दिशा में हुई प्रगति से सभी प्राचार्य/अधीक्षक अवगत करायेंगे।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार)

(xx) **चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रक्त अधिकोष की अनुज्ञप्ति :–**

बैठक में राज्य औषधि नियंत्रक को निदेश दिया गया कि वे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के रक्त अधिकोष के अनुज्ञप्ति की स्थिति की समीक्षा एक सप्ताह में कर लें एवं तद्नुसार संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित कर ससमय अनुज्ञप्ति का नवीकरण करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– राज्य औषधि नियंत्रक)

(xxi) **चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड एवं एक्स–रे मशीन की कमी :–**

समीक्षा के क्रम में BMSICL, पटना द्वारा बतलाया गया कि अल्ट्रासाउण्ड का rate contract कर लिया गया है। एक्स–रे मशीन का प्रदर्शन होने वाला है। 15 सितम्बर तक इसके लिए भी rate contract कर लिया जायेगा। बैठक में प्रधान सचिव द्वारा यह निदेश दिया गया कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को जिन specification के एक्स–रे मशीन की आवश्यकता हो उसी specification के एक्स–रे मशीन का क्रय किया जाय।

(अनुपालनः–BMSICL, पटना)

(xxii) **बी0एम0एस0आई0सी0एल0 द्वारा क्रय की गई सर्जिकल इम्पलान्ट का उपयोगः–**

इस क्रम में BMSICL, पटना द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा सभी संस्थानों से अपनी आवश्यकता से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। संस्थानों से सूचना अप्राप्त है। तदनुसार प्रधान सचिव द्वारा सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को एक सप्ताह में वांछित सूचना निगम को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। आई0जी0आई0एम0एस0 के प्रतिनिधि द्वारा जिज्ञाशा प्रकट करने पर उन्हें बतलाया गया कि वे भी भुगतान के आधार पर सर्जिकल इम्पलान्ट निगम से प्राप्त कर सकते हैं।

(अनुपालनः– प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, BMSICL, पटना)

(xxiii) **शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) :-**

प्रधान सचिव द्वारा पटना शहर में संचालित चिकित्सा महाविद्यालय यथा–PMCH, NMCH, IGIMS एवं AIIMS से समन्वय कर, एक नोडेल तैयार करने का निदेश दिया गया कि किस प्रकार चिकित्सा महाविद्यालय को NUHM के साथ जोड़ा जा सके।

(अनुपालनः– श्री मसूद, NUHM)

(xxiv) बैठक में प्रधान सचिव द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में इमरजेंसी में बेडों की संख्या बढ़ाने हेतु तकनीकी अनुमोदन सहित प्राक्कलन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– BMSICL, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

16/8/2018
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–14/2018– 9261 /स्वा0, पटना, दिनांक– 21 / 8 /2018

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/8/2018
प्रधान सचिव